151

माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
सर्किट कोर्ट, रीवा (म०प्र०)

R.5177-II/17

1. श्रीमती आशा दुबे पत्नी श्री काशी प्रसाद दुबे निवासी 8/142 सौरभ नगर, बोदाबाग, रीवा (म०प्र०)
2. श्रीमती माया तिवारी पत्नी देवेन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्री श्री काशी प्रसाद दुबे निवासी टिकुरी हाल मु० वार्ड क्र० 8 सौरभ नगर, बोदाबाग रीवा, तह० हुजूर, जिला–रीवा (म०प्र०)

--------------------- ***आवेदकगण / पुनरीक्षणकर्ता***

बनाम

1. श्रीमती सत्यभामा पाण्डेय पत्नी श्री रमाशंकर पाण्डेय निवासी बगदरा, हाल मु० वार्ड क्र० 8 सौरभ नगर, जनता स्कूल के सामने बोदाबाग रीवा, तह० हुजूर, जिला–रीवा (म०प्र०)
2. श्रीमती कृष्णा पाण्डेय पत्नी श्री रोशन लाल पाण्डेय निवासी ग्राम मऊ(बगदरा) हाल मु० वार्ड क्र० 8 सौरभ नगर, जनता स्कूल के सामने बोदाबाग रीवा, तह० हुजूर, जिला–रीवा (म०प्र०)
3. श्रीमती चन्द्रवती तिवारी पत्नी रामाश्रय तिवारी पिता श्री बैजनाथ पाण्डेय हाल मु० मकान नं० 35 वार्ड क्र० 9 बोदाबाग रीवा तह० हुजूर, जिला–रीवा (म०प्र०)
4. श्री पदुमनाथ पाण्डेय पिता शिव प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम बोदाबाग, श्रीराम स्कूल के सामने मनकहारी रोड, तह० हुजूर, जिला रीवा (म०प्र०)
5. शासन, मध्य प्रदेश।

.................***अनावेदकगण / गैरपुनरीक्षण***

निगरानी विरूद्ध आदेश आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वितीय अपील क्रमांक 126/अपील/13–14 आदेश दिनांक 27.03.17 अनु0अधि0, तह0 हुजूर, के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील प्र0क्र0 117/अ70/10–11 दिनांक 12.03.14 एवं तह0 हुजूर, के राजस्व प्र0क्र0 9/अ70/08–09 में पारित आदेश दिनांक 07.01.11 को निरस्त करने एवं अनावेदकों द्वारा किए गए अप्राधिकृत कब्जा से आवेदिकाओं की भूमि खसरा क्रमांक 395/10 एवं 395/11 के पश्चिमी सरहद के कृषक अनावेदक क्र0 4 को 02 फिट से तथा अनावेदक क्र0 1 व 2 को पूर्वी सरहद 5 फिट भूमि से बेदखली का आदेश पारित करने एवं शासन द्वारा तहसीलदार हुजूर के स्थगन आदेश दिनांक 03.10.08 का उल्लंघन करने, जबरन मकान निर्माण करके आवेदिकाओं को क्षति कारित करने के सम्बन्ध में समुचित दण्डादेश पारित करने बावत्।

मान्यवर,

इस पुनरीक्षण पत्र के समझने हेतु संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित है :–

आवेदिकागण एवं अनावेदिका क्रमांक 1 व 2 के द्वारा अनावेदिका क्र0 3 के स्वत्व आधिपत्य की भूमि जिसका अंतरण पूर्व भूखण्डांक क्रमांक 395/1 रकबा 0.833 हे0 था उसके सहखातेदार 394/1 के अनुसार थे जिसमें आपसी हिस्सावांट में अनावेदिका क्र0 3 श्रीमती चन्द्रवती को स्वत्व आधिपत्य में प्राप्त भूमि खण्डांक 395/1 प्राप्त था जिसमे से अंतरण योग्य भूमियां पहले अनावेदिका क्रमांक 1 व 2 के नाम जरिए पंजीकृत विक्रय क्रमांक 2473 दिनांक 18.08.05 अनावेदिका क्र0 1 श्रीमती सत्यभामा पाण्डेय के हक में क्षेत्रफल 35x70=2450 वर्ग0 एवं अनावेदिका क्रमांक 2 श्रीमती कृष्णा पाण्डेय के हक में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5177–दो/17 निगरानी जिला – रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
25-07-17	यह निगरानी आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 126/13-14 अपील में पारित आदेश दिनॉक 27-3-17 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण ने तहसीलदार हुजूर के समक्ष ग्राम बोदा के रकबा 35X70 अर्थात 2450 वर्गफीट तथा 30X80 अर्थात 2400 वर्गफीट का प्लाटिंग व सीमांकन न होने तक म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 सहपठित 32 के अंतर्गत आवेदन देकर निर्माण पर रोक लगाये जाने की प्रार्थना की, जिसे तहसीलदार हुजूर ने प्रकरण कमांक 9 अ-70/08-09 में पारित आदेश दिनांक 7-1-11 से निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने प्रकरण कमांक 117/अ-70/10-1 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-3-14 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरुद्ध आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील की गई। आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 126/13-14 अपील में पारित आदेश दिनॉक 27-3-17 से अपील निरस्त करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश	

यथावत् रखे हैं। आयुक्त के इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि वाद विचारित भूमि की पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक ने मौके पर नप्ती की है तथा सीमांकन उपरांत तहसीलदार के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है एंव सीमांकन प्रतिवेदन में अनावेदक कमांक 1 व 2 का कब्जा आवेदकगण की भूमि पर नहीं पाया गया है अपितु वह अपने अपने खरीदे गये भूखंडों पर परिमाप के मान से काविज है जिसके कारण तहसीलदार हुजूर ने प्रकरण कमांक 9 अ–70/08–09 में पारित आदेश दिनांक 7–1–11 से आवेदकगण का म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 सहपठित 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने एंव आयुक्त रीवा संभाग ने तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है । तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 126/13–14 अपील में पारित आदेश दिनॉक 27–3–17 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य